संख्या– 3022 /आठ–1–16–64विविध/2016

प्रेषक,

शिव जनम चौधरी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2016**

विषयः– निर्माण कार्यों में री–साइकिल किये गये Construction & Demolition (C&D) Waste के इस्तेमाल को अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–2018/नौ–5–2016–192सा/2016, दि0–08.08.2016 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे कहने का निदेश हुआ है कि, उक्त पत्र में दिये निर्देशानुसार निर्माण कार्यों में री–साइकिल किये गये Construction & Demolition (C&D) Waste का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु त्वरित अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को उक्त पत्र की प्रति उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा समस्त विकास प्राधिकरणों को अपने स्तर से प्रेषित करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव।

3024/आ0 6-1-2016

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-2018/नौ-5-2016-192सा/2016

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक : 08 अगस्त, 2016

विषय: Request to issue notification from state works' department on use of Construction & Demolition (C&D) Waste.

4535/8/2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया श्री प्रवीण प्रकाश, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एसबीएम), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एसबी/एसबीएम/29/2016, दिनांक 23 मार्च, 2016 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विज्ञप्ति निर्गत कर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किये जा रहे निर्माण में री-साइकिल किये गये Construction & Demolition (C&D) Waste के इस्तेमाल को अनिवार्य किया गया है। उक्त पत्र संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.03.2016 द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भी इस नियमित मानकों में अपेक्षित संशोधन किये गये हैं। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 की प्रति संलग्न करते हुए संदर्भित पत्र में राज्य के निर्माण विभागों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

VS(C)
11.08.16

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपेक्षानुसार निर्माण कार्यो में री-साइकिल किये गये Construction & Demolition (C&D) Waste के इस्तेमाल को अनिवार्य किये जाने के संबंध में त्वरित अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3990 सा/8/8/16

सचिव

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव।

संख्या-2018(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन को संलग्नक की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने विभाग तथा अपने विभाग से संबंधित निर्माण एजेन्सियों के संदर्भ में अपेक्षानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
(2) निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(4) निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

09-08-16
(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0 प्र0 शासन।

8005/VS(C)/16
SO-1

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,
08/8/2016
(श्रीप्रकाश सिंह)

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन
उ0 प्र0 शासन।
16-8

19/8/16

PRAVEEN PRAKASH, IAS
Joint Secretary & Mission Director (SBM)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

सत्यमेव जयते

प्रवीण प्रकाश, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस.बी.एम.)
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

D.O. SB / SBM / 29 / 2016

Date: 23rd March 2016

Respected Sir,

Re: Request to issue notification from state works' department on use of Construction & Demolition (C&D) waste

As you are aware, approximately 25 - 30 million tonnes of Construction & Demolition (C&D) waste is generated annually in India, of which less than 5% is processed, the remaining being sent for dumping, adding to the already overburdened dumping sites and attendant problems.

To address this issue, the Central Public Works Department (CPWD) has now issued a notification making it mandatory for CPWD and National Buildings Construction Company (NBCC) to use recycled portions of Construction and Demolition (C & D) waste in their construction activities, if the same is available within 100 km from the construction site. The notification specifies that coarse and fine varieties of recycled concrete aggregate (RCA) and Recycled Aggregate (RA) derived from the C&D waste are to be used in lean concrete, plain concrete cement (PCC) and Reinforced Concrete Cement (RCC) used in construction.

In this regard, the Bureau of Indian Standards (BIS) has revised the existing IS specification (IS 383) to IS 383: 2016 and specified that for load bearing structures, upto a maximum of 25% of coarse and fine RCA can be mixed with PCC, and upto a maximum of 20% of coarse and fine RCA can be mixed with RCC. For lighter, non-load-bearing structures using lean concrete, the entire amount (100%) of coarse and fine aggregates of both RCA and RA may be used.

A copy of the above notification is being attached for your reference.

This is to request you to kindly advise your state's works' departments to issue similar notifications along these lines, to ensure more effective processing of C&D waste in your state.

We look forward to your involvement and cooperation in making this mission a success.

With regards,

Yours sincerely,

(Praveen Prakash)

All Chief Secretaries
c.c. Director (SBM-SJ) / JA-CPHEEO (MoUD)

Office : 140-C, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 • Mob : 9013133636, Phone : 011-23062309, Fax : 23062477
praveenprakashud@gmail.com; praveen.prakash71@nic.in